



सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या -01

सोमवार, दिनांक—12 फरवरी, 2024 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन से 03:50 बजे अपर्याप्त तक।

[1] अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक सम्बोधन :- (यथा संलग्न)

[2] महामहिम राज्यपाल का संदेश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश से सदन को अवगत कराया— “भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को, दिनांक 12 फरवरी, 2023 को 11:30 बजे पूर्वाहन में सम्बोधित करना चाहता हूँ और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।

पटना

60/- राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

राज्यपाल, बिहार।”

दिनांक -01.02.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दोनों सदन के सदस्यों के सह-समवेत उपस्थिति में अग्रिमावधि विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेन्ट्रल हॉल तक लाने वह विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आयेंगे। इस बीच उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से सेन्ट्रल हॉल में अपना—अपना स्थान ग्रहण करने एवं महामहिम राज्यपाल के अग्रिमावधि की रामादि के पश्चात पुनः सभावेशम में अपना—अपना स्थान ग्रहण कर लेने का आग्रह किया।

इसके उपरान्त सभा की कार्यवाही सेन्ट्रल हॉल में हुई।

महामहिम राज्यपाल के आसन ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रीय धून (संक्षिप्त रूप में) बजाया गया।

सभा सचिव द्वारा महामहिम राज्यपाल से दोनों सदनों के सादरयों को सम्बोधित करने का अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात् महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया।

महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः राष्ट्रीय धून (संक्षिप्त रूप में) बजाया गया। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग महामहिम राज्यपाल महोदय को सेन्ट्रल हॉल से बाहर तक विदा करने गए। महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः सभा वेशम में आसन ग्रहण किया।

[3] प्रस्ताव :-

- i. माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को हटाये जाने संबंधी संकल्प के प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाना :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्हें पद से हटाये जाने की सूचना दी गयी है। तकनीकी रूप से यह सही है क्योंकि यह सूचना 14 दिन पहले दी गयी है। माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव, श्री जीतन राम माँझी एवं अन्य सात समांसदों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। साथ ही आसन द्वारा उन सदस्यों को धन्यवाद किया गया क्योंकि उन्होंने इस सूचना में न ही उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लांछन लगाया है।

तदुपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव द्वारा अपने प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन में इस प्रस्ताव के पक्ष में 38 सदस्यों से अधिक सदस्य खड़े हुए। नियमानुसार आसन द्वारा यह घोषणा की गई कि इस प्रस्ताव पर विचार करने हेतु सदन की सहमति हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को पुनः संबोधित किया गया। (थथा संलग्न)

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष गहोदय द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आसन ग्रहण कर आगे की कार्रवाई संचालित करने का अनुरोध किया गया।

(इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

प्रस्तावित संकल्प पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना विचार प्रकट किया:-

- i. श्री भूदेव चौधरी

(सदन की अनुमति से भोजनावकाश में भी सदन की कार्यवाही जारी रखी गयी)

- ii. श्री महवृष्ट आलम

- iii. श्री शकील अहमद खाँ

- iv. डॉ सत्येन्द्र यादव

माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त विषया द्वारा इस प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की गयी।

तदुपरान्त सदन में खड़े होकर मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। मत विभाजन से प्रस्ताव 112 के मुकाबले 125 मतों से स्वीकृत हुआ।

ii. वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि “यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।”

विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०विं०स०

- ii. श्री विजय कुमार सिंहा, उप मुख्यमंत्री

- iii. श्री शकील अहमद खाँ, स०विं०स०

- iv. श्री सुदामा प्रसाद, स०विं०स०

- v. श्री सुर्यकाना पारवान, स०विं०स०

- vi. श्री अजय कुमार, स०विं०स०

- vii. श्री जीतन राम माँझी, स०विं०स०

- viii. श्री अखतरुल ईगान, स०विं०स०

- ix. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य

- x. श्री सग्गाट चौधरी, उप मुख्यमंत्री

तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा।

इस दौरान विषया के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त सदन में खड़े होकर मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। मत विभाजन से प्रस्ताव शून्य के मुकाबले 129 मतों से स्वीकृत हुआ।

[4] अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सप्तदश विहार विधान सभा के एकादश सत्र के लिए निम्नांकित माननीय सभासदों को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया :-

- i. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह
- ii. श्री हरि नारायण सिंह
- iii. श्री विजय शंकर दूबे
- iv. श्री भूदेव चौधरी
- v. श्रीमती ज्योति देवी

[5] कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सप्तदश विहार विधान सभा के एकादश सत्र के लिए निम्न प्रकार कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया :-

i.	उपाध्यक्ष, विहार विधान सभा	सभापति
ii.	श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
iii.	श्री सग्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
iv.	श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
v.	श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
vi.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, उर्जा	सदस्य
vii.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०विंस०	सदस्य
viii.	श्री शक्तील अहमद खाँ, स०विंस०	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

- (i) श्री जीतन राम मांझी, स०विंस०
- (ii) श्री आलोक कुमार मेहता, स०विंस०
- (iii) श्री महबूब आलम, स०विंस०
- (iv) श्री राम रतन सिंह, स०विंस०
- (v) श्री अजय कुमार, स०विंस०

नियमानुसार उपाध्यक्ष, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

सप्तदश विहार विधान सभा के दशम सत्र में उद्भूत तथा विहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न छः विधेयकों का विवरण, जिसपर महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, को सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया :-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	विहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023	16.11.2023
2.	विहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023	16.11.2023
3.	विहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023	16.11.2023
4.	विहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023	16.11.2023
5.	विहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023	18.11.2023
6.	विहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023	18.11.2023

[7] आर्थिक सर्वेक्षण का उपस्थापन :-

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सग्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[8] शोक प्रकाश :-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जनगायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

- i. स्व० गोवर्धन नायक, पूर्व स०विंस० एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
- ii. स्व० शिवपूजन सिंह, पूर्व स०विंस०
- iii. स्व० रामचन्द्र राय, पूर्व स०विंस० एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
- iv. स्व० रामनाथ गुप्ता, पूर्व स०विंस०
- v. स्व० रमेश प्रसाद सिंह, पूर्व स०विंस०
- vi. स्व० तारा गुप्ता, पूर्व स०विंस०
- vii. स्व० सूर्य नारायण सिंह यादव, पूर्व स०विंस०
- viii. स्व० गुणानंद झा, पूर्व स०विंस० एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
- ix. स्व० ब्रह्मानंद मंडल, पूर्व सदस्य, लोक सभा
- x. स्व० सरयुग मंडल, पूर्व स०विंस०

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना सम्बन्धित शोकाकुल परिवारों के पास उनके एवं सदन की ओर से भेज दिया जाय।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-13 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-12.02.2024

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।